न्यायालयः — अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिलाबालाघाट (म.प्र.)

/ / विरुद्ध

आप.प्रक.कमांक—1009 / 2012 संस्थित दिनांक 10.12.2012 फाई. क.234503000612012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

गोरेलाल पिता भगेलसिंह, उम्र—25 वर्ष, निवासी लिमोटी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट

—————<u>आरोपीगण</u> /<u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक 11/12/2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354, 506 भाग—2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 25.11.2012 को रात्रि के 12:00 बजे स्थान प्रार्थिया सहौद्राबाई के मकान ग्राम लिमोटी चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत स्थित फरियादिया का घर जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन कर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेरकर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया सहोद्राबाई ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 25.11.12 को ग्राम के रमेश के घर पर भोजन का कार्यक्रम था, वहाँ उसका पति बिरजु गया था और वह खाना-पीना खाकर दोनों तरफ के दरवाजे में से एक को बंद करके एक को लटका कर सो गई थी, तभी अचानक उसके घर की लाईट बंद हो गई और गांव का गोरेलाल उसके घर के अंदर, जहां पर वह सोई थी, वहां पर आ गया था और उसके छाती पर हाथ फेर रहा था। एकदम से उसकी नींद खुली, उसने सोची की उसका पति है, थोडी देर में अपने हाथ से यहां–वहां झटकाई तो गोरेलाल बोला कि चिल्लाई तो तेरे को मार डालूंगा, काट डालूंगा, तब वह उसकी आवाज सुनकर समझी की लडका उसका पति नहीं है गांव का गोरेलाल है, गोरेलाल उसको खींचतान कर रहा था, तभी उसके पति के आ जाने पर आवाज सुनने पर गोरेलाल उसके पास से भागकर कुटिया के गोड़ा के नीचे छुप गया। यदि उसके पति बिरजू उस वक्त घर पर न आये होते तो गोरेलाल उसकी ईज्जत ले लेता। गोरेलाल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 110/12 तैयार किया जाकर न्यायालय

में पेश किया गया।

- 03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया।
- 04- प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय बिन्दु निम्न है:--
 - 1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 25.11.2012 को रात्रि के 12:00 बजे स्थान प्रार्थिया सहौद्राबाई के मकान ग्राम लिमोटी चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत स्थित फरियादिया का घर जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन किया ?
 - 2.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेरकर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
 - 3.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

- विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

साक्षी सोहद्राबाई अ.सा.०१ ने कथन किया है कि वह आरोपी को 05-जानती है। घटना करीब चार वर्ष पूर्व रात्रि करीब 12:00 बजे उसके घर ग्राम लिमोटी की है। घटना के समय गांव में आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह दोनों अपने-अपने घर चले गये। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के कुछ दिन बाद आरोपी के विरूद्ध चौकी पाथरी में शिकायत की थी, वहां पुलिस ने कुछ कागजों पर उससे अंगुठा लगवाये थे। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 25.11.2012 की रात्रि में वह खाना खाकर घर के दरवाजे बंद करके सो गई थी, तभी आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा, जिससे उसकी नींद खुल गई और उसने आरोपी का हाथ झटकाया तब आरोपी ने उसे चिल्लाने पर मार डालने की धमकी दी और तभी उसके पति के आने की आवाज सुनकर आरोपी वहाँ से भागकर कुटिया के बोड़ा के नीचे छूप गया, जिसे उसके पति ने आकर माचिस जलाकर देखा। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके पति ने आरोपी को

नीचे से हाथ पकड़कर निकाला और आरोपी से पूछताछ की, परंतु वह कुछ नहीं बोला, घटना के पश्चात उसकी तबीयत खराब हो गई और ठीक होने पर कुछ दिन पश्चात उसने पाथरी चौकी जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस को न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना की कोई शिकायत नहीं की थी और उसका आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर के अंदर नहीं आया था और ना ही उसने कोई घटना कारित की थी।

साक्षी बिरजू अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब चार वर्ष पूर्व रात्रि करीब 12:00 बजे ग्राम लिमोटी की है। घटना के समय गांव में आरोपी से उसकी पत्नी का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों अपने–अपने घर चले गये। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने घटना के कुछ दिन बाद आरोपी के विरूद्ध चौकी पाथरी में शिकायत की थी, वहां पुलिस ने कुछ कागजों पर उससे अंगुठा लगवाये थे। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 25.11.2012 को रात्रि 12:00 बजे वह गांव के रमेश के घर से कार्यक्रम के पश्चात घर गया तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, जहाँ से वह घर के अंदर आ गया तथा कमरे के अंदर माचिस जलाकर देखा तो एक आदमी गोड़ा के अंदर घुस रहा था, जिसे हाथ पकड़कर बाहर निकाला तो वह आरोपी गोरेलाल था, उसके चिल्लाने पर गांव के अन्य व्यक्ति आ गये तो लोगों को देखकर आरोपी भाग गया और तब उसने अपनी पत्नी को डाट कर पूछा। यह अस्वीकार किया हे कि उसके गुस्से में मारने पर उसकी पत्नी कहीं चली गई जो दिनांक 29.11.2012 को सुबह 7:00 बजे सेमी झाड के नीचे मिली, उसे उटाकर घर लाकर पानी पिलाया तो उसने बताया कि घटना की रात आरोपी घर के अंदर घुस कर ईज्जत लेने को हो रहा था और चिल्लाने पर जान से खत्म करने की धमकी दे रहा था। यह स्वीकार किया कि पत्नी की तबीयत ठीक होने के पश्चात उसने पाथरी चौकी जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को ने देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका–नक्शा प्र.पी.02 बनाया था तथा जिसपर उसका अंग्ठा निशानी है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना की कोई शिकायत नहीं की थी, उसकी पत्नी का आरोपी से मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर के अंदर नहीं आया था और ना ही उसने कोई घटना कारित की थी।

07— फरियादी सोहद्राबाई अ.सा.01 तथा साक्षी बिरजू अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय फरियादी एवं आरोपी का केवल मौखिक विवाद हुआ था तथा आरोपी उनके घर के अंदर नहीं आया था और ना ही उसने कोई घटना कारित की थी। फरियादी सोहद्राबाई अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया के घर जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि में प्रच्छन्न गृह अतिचार / गृह भेदन कर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फरेकर हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः आरोपी गोरलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354, 506 भाग—दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

08- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09— प्रकरण में आरोपी दिनांक 02.12.2012 से दिनांक 03.12.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट